(75)

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-3676-II/16

राजस्व निगरानी क्रमांकः............../2016

1. लीलाधर आत्मज श्री टीकाराम ....निगरानीकर्तागण
2. राजेन्द्र आत्मज श्री टीकाराम
3. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री टीकाराम
4. श्रवण आत्मज श्री टीकाराम
5. भागवती पुत्री श्री टीकाराम
6. मुन्नीबाई पुत्री श्री टीकाराम
7. पुष्पा पुत्री श्री टीकाराम
8. कुन्दन पुत्री टीकाराम

आयु सभी वयस्क,कृषक नगर बुदनी,
निवासी-बुदनीघाट तहसील बुदनी जिला-सीहोर

(160)

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक 26/9/16 को पेश।

विरुद्ध

1. जयराम जुगानी पुत्र श्री मंशाराम जुगानी ....उत्तरदातागण
   वार्ड 29,सिंधी कालोनी,होशंगाबाद
   तहसील व जिला होशंगाबाद
2. म.प्र.शासन,
   द्वारा-कलेक्टर महोदय,होशंगाबाद

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

महोदयजी,

राजस्व निरीक्षक बुदनी के प्रकरण कमांक 10/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 29.03.2016 के पालन में की गई सीमांकन दिनांक 13.04.2016 की संपूर्ण कार्यवाही से दुखी होकर यह निगरानी [illegible] 31.08.2016 से समय सीमा में माननीय न्याया[illegible]

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है

01. यह कि निगरानीकर्तागण एवं उत्तरदाता कमांक आपस में मेड़ पड़ीस कृषक है । निगरानीकर्ता द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि खसरा क.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3676–दो/16 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री गुलाब सिंह चौहान उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 10/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.3.2016 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन, शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि निगरानी के आधार पर प्रकरणका निराकरण किया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 6 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। सदस्य	